बिहार विधान-सभा वादवृत्त ।

वृहस्पतिवार, तिथि ५ अक्टूबर १९६१ ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में वृहस्पतिवार, तिथि ५ अक्टूबर, १९६१ को पूर्वाह्न ११ बजे सभापति श्री राम नारायण मंडल के सभापतित्व में हुआ ।

श्री जव्वार हुसैन—महाशय, मैं द्वितीय बिहार विधान-सभा के प्रथम सत्र के २५ अनागत तारांकित प्रश्नों का उत्तर सदन की मेज पर रखता हूं । शेष प्रश्नों के उत्तर सचिवालय के विभागों से प्राप्त होने पर प्रस्तुत किये जायेंगे ।

सूची ।

क्रम संख्या ।	सदस्यों का नाम ।	प्रश्नों की संख्या ।
१	श्री जयनारायण झा 'विनीत'	१९३ ।
२	श्री सुखदेव मांझी	३३३, ३३४, ५२२ ।
३	श्री शिवनन्दन राम	३४४ ।
४	श्री जनक सिंह	३७६, ६६५ ।
५	श्री सभापति सिंह	३९३, ७९२ ।
६	श्री कपिलदेव सिंह	४९५, ६९४ ।
७	श्री चन्दू राम	५१७ ।
८	श्री कर्पूरी ठाकुर	५२८ ।
९	श्री शुभनाथ देवगम	५३१ ।

(२) धोरैया थाना की जनता ने एक नहीं, बल्कि दो उच्च विद्यालय खोले हैं, जो धोरैया और बटसार में चल रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल में इन दोनों विद्यालयों को आंशिक स्वीकृति (८वें एवं ९वें वर्गों की) प्रदान की है।

(३) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिस थाने में एक भी स्वीकृत उच्च विद्यालय न हो उस थाने में एक राज्य साहाय्यित उच्च विद्यालय खोलने की स्कीम है।

(४) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(५) खंड (२) और (३) के उत्तर के पश्चात् यह प्रश्न नहीं उठता है।

वेतन एवं प्रोविडेन्ट फंड की रुपयों की चुकती।

१५२७। श्री देवीलाल जी—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री जनक प्रसाद सिंह सारण जिले में मढ़ौरा थाना अन्तर्गत लोअर प्राईमरी स्कूल में शिक्षक थे जिन्हें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, सारण ने पत्रांक ३९८७, दिनांक २५ जून, १९५६ के अनुसार कार्यभार से मुक्त कर दिया;

(२) क्या यह बात सही है कि श्री जनक प्रसाद सिंह का अप्रोल, मई और जून, १९५६ का वेतन सारण डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जिम्मे रह गया है तथा प्रोविडेन्ट फंड की रकम भी उन्हें आज तक नहीं दी गयी है;

(३) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो वेतन एवं प्रोविडेंट फंड के रुपये की चुकती में विलम्ब होने का क्या कारण है तथा सरकार उक्त बकाये रकम का भुगतान अविलम्ब करने जा रही है; यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमार गंगानन्द सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

---

(२) श्री जनक प्रसाद सिंह, भूतपूर्व शिक्षक, की उम्र १८ जनवरी, १९५६ को ही ६० वर्ष हो गयी थी। लेकिन शिक्षक ने अपने मन से २५ जून, १९५६ तक कार्य किया। नियम के अनुसार इनको १८ जनवरी, १९५६ के बाद से जिला शिक्षा अधीक्षक से वेतन नहीं मिलना चाहिये था लेकिन जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय से ३१ मार्च, १९५६ तक वेतन की चुकती हुई है, जिसपर सरकारी अंकेक्षक ने आपत्ति भी की है। इनके भविष्य निधि की चुकती अभी तक इसलिये नहीं हो पायी है कि शिक्षक ने इस बात का प्रमाण-पत्र नहीं दिया है कि उनके पास विद्यालय का सामान बाकी रह गया है या नहीं।

(३) उक्त शिक्षक ने अपने इच्छानुसार ६० वर्ष की उम्र के बाद कार्य किया है। अतः उक्त समय का वेतन देना अनियमित होगा। हां, विद्यालय के सामान उनके पास न होने का प्रमाण-पत्र पाते ही शिक्षक को भविष्य-निधि की चुकती कर दी जायगी।